

**संघीय,**

**राष्ट्रीय, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या- प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2021/3637

सम्बद्ध दिनांक- 08/08/2021

**संघीय स्तर:-**

प्रतिष्ठित संघीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय सार्वजनिक और इण्डियन, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विभागीय संघीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ परीक्षा समस्त वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निचे गी निर्णय के अनुसार में विस्तार संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु नियोजित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उससे अधिक परीक्षा समस्त हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का नाम एवं स्तर : 1963-DHARAMVIR SINGH RAJPUT MEMO. COLLEGE OF PHARMACY, THAKURDWARA, MORADABAD**

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	सम्बद्धता/सम्बद्धता/संघीय/राज्यीय/राज्यीय/राज्यीय द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित परीक्षा समस्त	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित परीक्षा समस्त
1	DIPLOMA IN PHARMACY	50	50

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था सार्वजनिक/राज्यीय/राज्यीय/राज्यीय द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमशाही 1962, इंसेप्टर विनियमशाही-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं अधिनियमों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजीड पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय स्नातकी पाठ्यक्रम हेतु ₹0-49000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्राथमिक व्यय/व्यय से व्यय किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त व्यय/व्यय/शर्तों से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त-समाप्त पर साक्ष्य द्वारा निर्णय किये जाने वाले कार्यक्रमों पर प्राप्ति होगी, और तदनुसार

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आइ0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनावे गये विधि/नियमों/अधिनियमों/कारणपट्टी/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उपरोक्त, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपरोक्त तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपरोक्त द्वारा बनावे गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विपरीतमा इन फार्मों का पालन करने की संस्थाएं यदि वे ही आई, नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में सम्बन्धित उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई हानि क्षति का भोग करना है तथा क्षति काट के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को स्वनी होगी।
- ✓ विपरीतमा इन फार्मों का पालन संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलेके वर्ष के लिए अधोजित प्रवेश परीक्षा हेतु क्वॉलिफिकेशन प्राप्त होने के पूर्व पी0सी0आइ0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (क्वॉलिफिकेशन के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जावेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्बन्धित सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-व्यवस्था हेतु उपर्युक्त आलाचार्य उपलब्ध कराने के साथ रेगिस्टर रोलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के सम्बन्धित उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवकाश, कमीटर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपर्युक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जावेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण टीम यदि संस्था में भूमि, अवकाश, कमीटर, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आइ0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जावेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार

संख्या:-

अनुशासनात्मक कार्यवाही की (अधरी)

(सुनील कुमार शर्मा)

अधिव

सूचक- अधिकाधिक संख्या/2021/3638-4809

दिनांक: 08/06/2021

संज्ञिका-

सुनील कुमार शर्मा DHARAMYR SINGH RAJPUT MEMO. COLLEGE OF PHARMACY,  
THAKURDWARA, MORADABAD



(सुनील कुमार शर्मा)

अधिव

**कार्यालय,**

**राष्ट्रीय पारिषदिक शिक्षा परिषद,**

**असार, प्रवेश, नयागढ़।**

संख्या:- पारिषद/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संखनडा/ दिनांक: 30/06/2022

**आचार्यजीय साधु:**

राष्ट्रीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राजीव गांधी राष्ट्रीय उच्च शिक्षण, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक वर्ष 2022-23 हेतु विन्नास राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन पत्र भेजा गया है। उक्त पारिषदिक शिक्षा परिषद, असार, नयागढ़ में सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार पत्र भेजा गया है। नई दिल्ली, 30/06/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता पत्र के अंतर्गत संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पत्र भेजा गया। उक्त पत्रों पर विचार करने के लिए वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार पत्र भेजा गया है।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेक एवं निर्णय के अनुसार में विन्नास संस्था को पारिषदिक शिक्षा परिषद, असार, नयागढ़ द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु विन्नासिक सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मासी हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार पत्र भेजा है।

संस्था का पूरा नाम : 1983-DHARAMSIR SINGH RAJPUT MEMO. COLLEGE OF PHARMACY,

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित वर्षिक क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित वर्षिक क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था 1983-DHARAMSIR SINGH RAJPUT MEMO. COLLEGE OF PHARMACY द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था असार प्रवेश पारिषदिक शिक्षा परिषद एक्ट 1983 तथा पारिषदिक शिक्षा परिषद विनियमनकारी 1983, विनियमनकारी-3000, सेनेक्टर विनियमनकारी-3016 तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों की अवधि पर 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों की अवधि पर 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की अवधि पर 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही सर्वोच्च आंकड़ा के तहत भिन्न-भिन्न उपरोक्त के अतिरिक्त आंकड़ों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर विचार किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त आंकड़ों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर विचार किया जायेगा।

कराती है, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। निम्न निर्देशन प्रक्रिया द्वारा यदि वर्ष 2023-24 हेतु वीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो वीस की लचीलापन ही लागू होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त वीस पीसल परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही वीस दिए जायेंगे।
- ✓ संस्था की समय-समय पर निर्गत सार्वजनिक के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता सुनिश्चित किया जाएगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/निबन्ध/अधिनियम/साक्षात्कार/निर्देशों एवं निर्देशक, शैक्षणिक विभाग, उच्च, संयुक्त वीस पीसल परिषद, उच्च तथा शैक्षणिक विभाग परिषद, उच्च द्वारा जारी नये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन/ऑपरेशन/एग्रेसिविटी में अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में संयुक्त सार्वजनिक संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। शैक्षणिक विभाग परिषद, संयुक्त वीस पीसल परिषद, शैक्षणिक विभाग निर्देशालय एवं शैक्षणिक विभाग विभाग द्वारा वीस शासन के विधुद यदि कोई काद द्वारा किया जाता है तथा द्वारा काद के संबंध में न. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संयुक्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त वीस पीसल परिषद, उत्तर प्रदेश सचिव द्वारा जारी नये वीस हेतु आवंटित क्वॉटिफिकेशन प्राप्त होने के पूर्व एडमिनिस्ट्रेशन/ऑपरेशन/एग्रेसिविटी में अनुमोदन प्राप्त का परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हे वीस की (साक्षात्कार) के माध्यम से वीस पीसल के अंतर्गत सार्वजनिक वीस) अनुमति प्राप्त नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वीस हेतु समय-समय पर निर्गत लचीलापन आक्षण नियमों का अनुपालन कराना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संयुक्त सूचनाओं के संबंध में शैक्षणिक सूचि भूमि, भाग, सा. सचिव, उच्च, उच्चतर, प्राप्त किया जाये तथा सुनिश्चित, सार्वजनिक सुनिश्चित आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-विकास हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने के लिए निम्न सूची के संस्था में संयुक्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परामर्शित सार्वजनिक कार्यक्रम को कराये जाने हेतु निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-समा, कमीषन, उच्चतर इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत ले प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संयुक्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक सार्वजनिक निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, भाग, सचिव, उच्चतर एवं अन्य सा. सचिव एडमिनिस्ट्रेशन/ऑपरेशन/एग्रेसिविटी के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का अनुपालन किये जाने की स्थिति में सार्वजनिक अनुशासनकारी कार्यवाही की जायेगी।

(पहचान के लिए)

दिनांक

संख्या- अधिकांशिक संख्या/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

विवरण:-

उपरोक्त विषय पर DHARAMVIR SINGH RAJPUT MEMO. COLLEGE OF PHARMACY,



(पहचान के लिए)

दिनांक

## कार्यालय,

### अखिल भारतीय शिक्षा परिषद,

#### उत्तर प्रदेश नखनऊ

संख्या:- शशिभाषापरिषद सम्बद्धता/2023/12090001

सम्बद्धता दिनांक: 12-09-2023

### कार्यालय कार्य:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्मिकी कार्यालय जीक हरिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक स्तर 2023-24 हेतु पूर्व से संबन्धित विन्वीधा स्त्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के त्परांत अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश नखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 03-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मिकी कार्यालय जीक हरिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को उत्तर अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किये गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में सिद्ध संस्था को अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश नखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तर अखिल प्रदेश उत्तरांचल हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पते एवं नाम : 1992-DHARAMVIR SINGH RAJPUT MEMO. COLLEGE OF PHARMACY,

क्रम	पाठ्यक्रम का नाम	उत्तरांचल/उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ अखिल भारतीय शिक्षा, अनुसंधान-3 उत्तर प्रदेश नखनऊ के पत्र संख्या 311/15-3089/5/2022 दिनांक-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संबन्धित संस्था संस्थाओं की शर्त के सिद्ध भारतीय न्यायालय में दर्जित गिरा अखिल भारतीय संस्था 8027/2023 में कार्मिकी न्यायालय के अखिल निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मिकी कार्यालय जीक हरिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मिकी कार्यालय जीक हरिया, नई दिल्ली के मानक के अनुसार संस्था में संस्था संस्थापक (प्रति, उत्तर, जीक उत्तरांचल) अति उत्तरांचल है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय शिक्षा परिषद सत्र 1992 तथा अखिल भारतीय शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, विनियमकारी-2000, संशोधन विनियमकारी-2018 तथा संशोधन-सत्र पर निर्णय आगमनियों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही उचित शुल्क शुल्क के तहत किया जाएगा। उत्तरांचल के अखिल भारतीय शिक्षा परिषद/कार्मिकी कार्मिकी कार्यालय द्वारा निर्णय किये जाने वाले आगमनियों पर्याप्त होने, की अनुसंधान कार्मिकी शिक्षा का अनुपालन होगा। शीत निर्धारण समिति द्वारा किये गए सत्र 2023-24 हेतु शीत का पूर्णतःपालन किया जाता है, जो शीत की नवीनतम हो जाएगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश किया जाएगा।
- ✓ संस्था को संशोधन-सत्र पर निर्णय आगमनियों के अनुपालन निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश नखनऊ द्वारा निर्णय विनियमकारी/अखिल भारतीय/आगमनियों/निर्देशों एवं निर्णय, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुसंधान प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये निर्णय, विनियमों, अधिसूचियों, निर्देशों का पालन करने के लिये आवश्यक है।
- ✓ यदि संस्था का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मिकी कार्यालय जीक हरिया, नई दिल्ली से अनुमोदन विस्तार किया जाता है तो इन शर्तों में सम्मिलित उपायों/विनियमों का पालन और विनियम सत्र में किसी भी कार्मिकी कार्मिकी कार्यालय के सिद्ध शर्तों पर उत्तरांचल की शर्तों, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, अनुसंधान प्रवेश परीक्षा परिषद, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद/कार्मिकी कार्यालय उत्तर प्रदेश नखनऊ के सिद्ध शर्तों पर उत्तरांचल किया जाता है तथा उत्तरांचल सत्र के शर्तों में या, न्यायालय द्वारा किये गए शर्तों की अतिरिक्त शर्तों अधीन निर्णय किया जाता है जो संस्था अतिरिक्त अखिल भारतीय संस्था की शर्तों की शर्तों।
- ✓ संस्थाओं को उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश नखनऊ द्वारा निर्णय, शर्तों के सिद्ध अखिल भारतीय शिक्षा परिषद/कार्मिकी कार्यालय उत्तर प्रदेश नखनऊ के शर्तों

या प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश हेतु सफल-असफल या किसी भी प्रकार के आग्रह विचारों का अनुपालन करना आवश्यक नहीं है।

- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा एडमिशन विभाग के सुदृढ़ीकृत पते पर संस्था की संस्था सूचनाएं जैसे संस्था की एडमिशन शुल्क शुल्क, भाग्य, आका-कक्षा, उपकरण, पाठ किताब जैसे अन्य शुल्क, छात्रवृत्तियां शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त सामग्री उपलब्ध कराने के साथ निम्न चीजों के संकलन में अपना अनुभव व्यक्त करना सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रशासिक-प्रशासिक व्यवस्था को चलाने वाले हेतु शिक्षण प्रक्रिया के साथ उपलब्ध कराने जैसे एडमिशन, शुल्क-संग्रह, छात्रवृत्तियां, उपकरण उपकरण का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य व्यवस्था के अभाव में प्रवेश किताब प्राप्त है और प्रवेश को सुदृढ़ी कराया जा रही है कि संस्था प्रवेश का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की संस्था प्राप्त करने वाले की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ इस प्रवेश एडमिशन किताब (एडमिशन और एडमिशन, दोनों) का संस्था किताब प्राप्त किताब (अभिलेख/अभिलेख, 2023 के अभिलेख/अभिलेख प्रवेश) को प्राप्त कर अपने अभिलेखों, अभिलेख और अभिलेख को प्रवेश को प्रवेश के अभाव में किताब प्रवेश के अभिलेख में रखें।
- ✓ संस्था के प्रवेश प्रक्रिया प्रक्रिया के दौरान यदि संस्था में शुल्क, भाग्य, छात्रवृत्तियां, उपकरण एवं अन्य सफल-असफल (अभिलेख/अभिलेख/अभिलेख) के अभाव/अभाव उपलब्ध नहीं प्राप्त करा है तो संस्था की संस्था सफल का ही कराएगी।
- ✓ संस्था को सभी का अनुपालन व किसे अपने अभाव नहीं का उपलब्ध किसे अपने ही प्रक्रिया के अभाव/अभाव अनुपालन/अभाव कार्यवाही की जाएगी।

(अशु कुमार सिंह)

अध्यक्ष

पुस्तक- प्रशासकीय संख्या/2023/12090002-12091230

दिनांक: 13-09-2023

प्रतिष्ठान-

सामाजिक-सेवा, DHARAMVIR SINGH RAJPUT MEMO. COLLEGE OF PHARMACY,

(अशु कुमार सिंह)

अध्यक्ष